न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 21/2021

प्रार्थीगण :—

1. बाबूलाल पुत्र मदरूपराम जाति जाट निवासी सारणों का बास ग्राम भावी, तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
2. लीलाराम पुत्र हेमाराम जाति जाट निवासी मालकोसनी रोड ग्राम भावी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :—

1. चिमनाराम दतकपुत्र नारायणराम जाति जाट(मोगा) निवासी खोखुण्डा रोड ग्राम भावी जाटावास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :— प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 1 की ओर श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट।
अप्रार्थी संख्या 2 सरकारी पैरोकार

निर्णय **दिनांक** 2/09/24

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि राजस्व ग्राम भावी जाटाबास तहसील बिलाडा की सीमा में स्थित भूमि खसरा नंबर 2426 रकबा 1.5209 हैक्टयर आई हुई है। जो प्रार्थीगण व प्रार्थी लीलाराम के भाई सहदेव की संयुक्त खातेदारीसुदा व संयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि है। जिसमें प्रार्थी बाबूलाल का 1/2 हिस्सा, प्रार्थी लीलाराम का 1/4 हिस्सा व प्रार्थी लीलाराम के भाई सहदेव का 1/4 हिस्सा निहित व दर्ज है। प्रार्थीगण की सयुंक्त खातेदारी व सयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि खसरा संख्या 2426 के पूर्वी दिशा की ओर उक्त खसरे से चिपते हुए खसरा संख्या 2432 रकबा 0.9061 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय आई हुई है। जो राजस्व ग्राम भावी जाटाबास में स्थित है, जो अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारीसुदा व कब्जा काश्तसुदा भूमि है। प्रार्थी लीलाराम के पिता हेमाराम जिनका स्वर्गवास दिनांक 30.06.2020 को हो चुका है, उन्होने अपने जीवनकाल में वर्ष 2018 में प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित खसरा संख्या 2426 व 2425 के सीमांकन हेतु अप्रार्थी संख्या 2 के समक्ष आवेदन किया व नियमानुसार फीस जमा करवायी। जिस पर अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा आदेश क्रमांक/भू.अ./सीमांकन/2018/878 दिनांक 23.04.2018 द्वारा हल्का पटवारी ग्राम भावी जे.बी. व भू अभिलेख निरीक्षक भावी को उक्त दोनो खसरा की सीमांकन हेतु आदेशित किया तथा अप्रार्थी संख्या 2 के उक्त आदेश की पालना में हल्का पटवारी ग्राम भावी जे.बी. व भू अभिलेख निरीक्षक भावी द्वारा उक्त दोनो खसरों का सीमांकन प्रार्थी व मौतबिरान

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

महेन्द्र, बाबूलाल व अन्य की उपस्थिति में किया तथा सीमांकन के सम्बंध मे फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की। जो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर पेश है। प्रार्थी लीलाराम के पिता हेमाराम द्वारा हल्का पटवारी ग्राम भावी जे. बी. व भू अभिलेख निरीक्षक ग्राम भावी द्वारा उक्त दोनो खसरे की बताई गयी सीमा के अनुसार सीमा मौके पर कायम की व तारबन्दी की। अप्रार्थी संख्या 1 झगडालू प्रवृति का व्यक्ति है तथा हल्का पटवारी ग्राम भावी जे.बी. व भू अभिलेख निरीक्षक ग्राम भावी द्वारा खसरा संख्या 2425 व 2426 की बताई गयी सीमा के अनुसार प्रार्थी लीलाराम के पिता हेमाराम द्वारा उक्त दोनो खसरे की सीमा मौके पर कायम करने व तारबन्दी करने से अप्रार्थी संख्या 1 नाराज हो गया, क्योकि सीमाकंन के अनुसार खसरा संख्या 2426 की कुछ भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2432 में सम्मिलित की हुई थी। जो सीमांकन के अनुसार प्रार्थी लीलाराम के पिता हेमाराम द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से छुड़ाकर वापस अपने कब्जे में ली थी। इसी नाराजगी के चलते अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2426 पर नाजायज कब्जा करने व जबरदस्ती काश्त करने पर आमादा होने पर प्रार्थी लीलाराम के पिता हेमाराम व प्रार्थी बाबूलाल द्वारा अप्रार्थी चिमनाराम व अन्य के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया, जो विचाराधीन है। तथा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ हेमाराम व प्रार्थी बाबूलाल द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 02.07.2018 को इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की कि षविवादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 2426 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा के राजस्व रेकर्ड व मौके की आज दिन की जो स्थिति है उसे आगामी तारीख पेशी तक दोनो पक्ष द्वारा यथास्थिति बनाये रखे। जो आज दिन तक प्रभाव में है। दिनांक 20. 06.2019 को अप्रार्थी संख्या 1 चिमनाराम, उसका पुत्र नरपतराम, उसकी पत्नी सीता व सुरजाराम पुत्र मूलाराम द्वारा प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 2426 में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर उक्त ख़ेत में खड़े खेजड़ी के पौधे काटने से मना करने पर उक्त सभी द्वारा प्रार्थी लीलाराम के पिता हेमाराम के साथ मारपीट. की। जिस पर हेमाराम द्वारा उपरोक्त सभी के विरूद्ध पुलिस थाना बिलाडा में फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके सी.आर. नम्बर 258/2019 है। जिसमें अनुसंधान अधिकारी द्वारा उक्त सभी से मिलीभगत व साठ गाठ कर सम्बंधित न्यायालय में एफ.आर. पेश की। जो प्रार्थी लीलाराम के पिता हेमाराम फौत होने से फैसल हो चुकी है। दिनांक 30.01.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 व उसका पुत्र गणपतराम प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2426 में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर उक्त खसरे की पूर्व सीमा पर स्थित प्रार्थीगण द्वारा की गई तारबन्दी व रोपे गये पत्थर के टुकडे तोड़ दिये तथा उक्त खसरे की पूर्वी सीमा को मौके पर खुर्द बुर्द कर दिया। जिस पर प्रार्थी बाबूलाल द्वारा उपरोक्त सभी के विरूद्ध पुलिस थाना बिलाड़ा में फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाया। जिसके सी.आर. नम्बर 79/2021 है। जिसका अनुसंधान चल रहा है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 व उसके पुत्र गणपतराम द्वारा खसरा संख्या 2426 की पूर्वी माठ को खुर्द बुर्द कर मौके पर अस्थिर कर दी है। तथा प्रार्थीगण द्वारा उक्त सीमांकन व राजस्व नक्शे के अनुसार वापस खसरा संख्या 2426 की पूर्वी माठ को पूर्व अनुसार स्थिर व कायम करने हेतु तथा तारबन्दी करने हेतु दिनांक 06.06.2021 को उक्त खसरा संख्या 2426 के खेत पर गये तो वहां

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

पर अप्रार्थी संख्या 1 व उसका पुत्र गणपतराम मौके पर आ गया तथा उन दोनो ने प्रार्थीगण को खसरा संख्या 2426 की पूर्वी माठ सीमांकन व राजस्व नक्शे के अनुसार स्थिर करने व तारबन्दी करने से मना कर दिया तथा प्रार्थीगण को इस आशय की धमकी दी कि ष्यदि उन्होने खसरा संख्या 2426 की पूर्वी भाठ पर सीमांकन व राजस्व नक्शे के अनुसार स्थिर व तारबन्दी की तो अप्रार्थी संख्या 1 व उसका पुत्र गणपतराम प्रार्थीगण को जान से खत्म कर देंगे। अप्रार्थी संख्या 1 येनकेन प्रकरेण प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2426 को अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2432 में सम्मिलित करना चाहता है। इसी दुराशय से अप्रार्थी संख्या 1 व उसके पुत्र गणपतराम द्वारा खसरा संख्या 2426 की पूर्वी माठ को खुर्द बुर्द कर अस्थिर किया व तारबन्दी तोड़ी। प्रार्थीगण कानून में विश्वास रखते है, इसलिए खसरा संख्या 2426 की सीमांकन व्र राजस्व नक्शा के अनुसार पत्थरगढी करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश है। प्रार्थीगण पुनः सीमांकन एवं पत्थरगढी की नियमानुसार फीस अदा करने को तैयार है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 2 को आदेश दिया जावे कि वो प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2426 रकबा 1.5209 हैक्टेयर का मौके पर उक्त खसरे के राजस्व नक्शे के अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 की उपस्थिति में पुनः सीमांकन कर प्रार्थीगण के खर्चे से उक्त खसरे की पूर्वी दिशा की अस्थिर माठ को स्थिर (निर्धारित) कर पत्थरगढी करावे। इस हेतु अप्रार्थी संख्या 2 को आदेश मय तहरीर जारी की जावे। उक्त खसरे के पुनः सीमाकन एवं पत्थरगढी के दौरान मौके पर अशांति पैदा होने पर अप्रार्थी संख्या 2 पुलिस इमदाद के जरिये उक्त आदेश की पालना करावे।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये बाद तामिल प्राप्त हुए। अप्रार्थी 1 की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से प्राथमिक आपतिया पेश की जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भावी (जे.बी.) तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2426 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा स्थित है, जिसकी खातेदारी भूमि प्रार्थीगण के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 2432 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा पर कब्जा करना चाहता है, जिसके लिए प्रार्थीगण ने अप्रार्थी के विरूद्ध माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष धारा–188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का राजस्व वाद संख्या–57/2018 अनवान हेमाराम बनाम सुगनाई का पेश किया तथा राजस्व वाद के साथ धारा–212 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का विविध प्रार्थना पत्र को पेश किया। विविध प्रार्थना पत्र संख्या–36/2018 में तारीख पेशी 02.07.2018 को मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी। लेकिन प्रार्थीगण ने दिनांक 09.07.2019 को स्थगन आदेश के बावजूद अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 2432 में जबरन अन्दर घुसकर माठ एवं फसल को नुकंशान कारित कर दिया, जिस पर अप्रार्थी के पुत्र ने पुलिस थाना बिलाड़ा में प्रार्थीगण के विरूद्ध रिपोर्ट को पेश किया, जिस पर पुलिस थाना बिलाड़ा ने प्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा–323, 447, 427 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दर्ज की गयी, वाद अनुसंधान पुलिस ने तफ्तीश कर प्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तर्गत धारा–323, 447, 427 भा.द.सं. के तहत माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (व.ख.) बिलाड़ा के समक्ष चालान को पेश किया, जिस पर प्रार्थीगण ने जमानत करवायी। उपरोक्त विवादित भूमि खसरा नम्बर 2426, 2432 का माननीय न्यायालय हाजा द्वारा धारा–212 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का अंतिम निर्णय पारित कर मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने का पारित किया जा चुका है। इसके अलावा धारा–188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का राजस्व वाद संख्या–57/2018 माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया हुआ है। जो राजस्व वाद संख्या–57/2018 अनवान हेमाराम बनाम सुगनाई वगैराह माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष विचाराधीन है तथा जिसमें आगामी तारीख पेशी 08.10.2021 है अतः जब विवादग्रस्त भूमि के बारे में सक्षम न्यायालय में स्थायी निषेधाज्ञा बाबत नियमित वाद विचाराधीन है तो माननीय न्यायालय के समक्ष उसी भूमि के बारे में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत समरी कार्यवाही का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है क्योंकि स्थायी निषेधाज्ञा का वाद डिक्री किया जायेगा। धारा–128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत सीमा विवाद का निस्तारण धारा–111 में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार करना होता है, जिसके लिए कब्जे की जांच किया जाना आवश्यक है एवं कब्जा तीन माह से अधिक समय से पाया जावें तो धारा–128 के अन्तर्गत किसी प्रकार का आदेश नहीं दिया जा सकता है। जब धारा–128 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृत तौर में कब्जा अप्रार्थीगण का है। अतः काबिज व्यक्ति को धारा–128 के अन्तर्गत बेदखली का आदेश देना अधिकार क्षेत्र के बाहर है। अतः प्राथमिक आपतियां प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारीज करने का आदेश फरमावे । अप्रार्थी संख्या 8 सरकारी पैरोकार ने जवाब पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भावी जाटावास की सीमा में स्थित भूमि ख.नं. 2426 रकबा 1.5209 हैक्टयर किस्म बा.द्वितीय आई हुई है जो प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी है। प्रार्थीगण संयुक्त खातेदारी के खसरा सं. 2426 की पूर्वी दिशा की ओर उक्त खसरे से चिपते हुए ख.नं. 2432 रकबा 0.9061 हैक्टयर आया हुआ है। जो अप्रार्थी स. 1 की खातेदारी व काश्तसुदा भूमि है। खसरा सं. 2426 का सीमाकंन श्रीमान तहसीलदार साहब बिलाडा के आदेश क्रमांक/भू.अ./सीमाकंन/2018/878 दिनांक 23.04.2018 को तत्कालीन पटवारी भावी जे.बी. व निरीक्षक भावी द्वारा किया जा चुका है। जिसकी सीमाकंन रिपोर्ट दावे के साथ संलग्न है। प्रार्थी द्वारा सीमाज्ञान रिपोर्ट अनुसार ख.नं. 2426 का सीमा पर तारबंदी की जिसके अप्रार्थी द्वारा मानने से इन्कार कर दिया तथा तारबंदी को खुर्दबुर्द कर दिया। पद सं. 5 से 7 कानूनी है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के बीच दोनों खसरों की सीमाओं को लेकर विवाद की स्थिति है। अतः पत्थरगढ़ी करवाया जाना आवश्यक रहेगा। जिससे विवाद की स्थिति बढ़े नहीं।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा सं. 2426 रकबा 1.5209 हैक्टयर का मौके पर उक्त खसरे के राजस्व नक्शे अनुसार जाकर पत्थरगढ़ी करवाये जाने की रिपोर्ट पेश है। मौके पर वक्त सीमाकंन व पत्थरगढी के समय किसी भी प्रकार का विवाद नहीं हो, इस हेतु मौके पर पुलिस इमदाद की भी आवश्यकता रहेगी।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपतियों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपतियॉ में वर्णित तथ्यों को दोहराया। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में राजस्व वाद सं. 57/2018 हेमाराम बनाम सुगनाई वगैराह विचाराधीन होना बताया जबकि राजस्व वाद सं. 57/2018 का दिनांक 06.09.2022 को निर्णय हो चुका है। वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 2426 रकबा 1.5209 हैक्टयर प्रार्थीगण की रेकर्डेड खातेदारी की है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 के मध्य खसरा नंबर 2426 की पूर्वी दिशा की ओर उक्त खसरे से चिपते हुए खसरा नंबर 2432 को लेकर सीमा विवाद है। इस कारण मौके पर पूर्व सीमाकंन के अनुसार पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतित होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम भावी जाटाबास तहसील बिलाडा की भूमि खसरा नंबर 2426 रकबा 1.5209 हैक्टयर का दिनांक 25.05.2018 की सीमाकंन मौका फर्द के अनुसार केवल पूर्वी दिशा की अस्थिर माठ को स्थिर कर पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश तहसीलदार बिलाडा को प्रदान किया जाता है। तहसीलदार बिलाडा सीमाकंन एवं पत्थरगढ़ी किये जाने के समय आवश्यकता अनुसार पुलिस ईमदाद की व्यवस्था प्राप्त करने का अधिकारी रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
बिलाडा

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 2/09/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
बिलाड़ा

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा